

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :-

जगदीश प्रसाद गौड़  
आर.ए.एस.

अपील संख्या :- 20/2021

बुद्धराम पुत्र ओमप्रकाश जांगिड़, निवासी खिदरसर, तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनू जरिये पत्नि  
राधा देवी पत्नि बुद्धराम।

-अपीलार्थी

-बनाम-

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार बिसाऊ, तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनू।

- रेस्पोंडेन्ट

अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार बिसाऊ  
उनवानी सरकार बनाम बुद्धराम अंधारा 91 एल0आर0एक्ट 1956  
मु0न0 100/2020 निर्णय दिनांक 09.03.2021

उपस्थिति:-

- 1 श्री अलीशेर खान, एडवोकेट -----अपीलान्ट की ओर से ।
- 2 श्री श्रवण कुमार सैनी, एडवोकेट-----रेस्पोंडेन्ट की ओर से।

-निर्णय-

दिनांक 13.08.2021

उक्त अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 09.03.2021 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम बुद्धराम मु0न0 100/2020 अ. धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 न्यायालय नायब तहसीलदार बिसाऊ के विरुद्ध अपीलान्ट की ओर से अपीलान्ट की पत्नि श्रीमती राधा देवी के द्वारा पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि- अपीलान्ट का विवादग्रस्त जमीन पर 20 वर्ष से भी अधिक समय से पुख्ता मकानात मय चारदिवारी कब्जा चला आ रहा है और चारों ओर आबादी बसी हुई है। तथा विद्युत कनेक्शन लगा हुआ है। अदालत मातहत ने हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया है परन्तु अदालत मातहत के समक्ष पटवारी हल्का के बयान के द्वारा रिपोर्ट को साबित किया जाना था लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अपीलान्ट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष अपना जबाब प्रस्तुत किया जिसे रिकार्ड पर लिया जाकर पत्रावली सीधे ही आदेश में लाई गई जबकि अपीलान्ट को साक्ष्य व सबुत पेश करने बाबत समय दिया जाना चाहिए था।



अति. जिला कलक्टर  
झुन्झुनू

दिया गया। इस प्रकार अदालत मातहत ने मात्र रिपोर्ट हल्का पटवारी पर विश्वास कर निर्णय पारित किया है। जबकि इस प्रकरण में हल्का पटवारी या अन्य किसी स्वतन्त्र गवाहान के साक्ष्य लिए बिना ही निर्णय पारित कर दिया जो विधि विरुद्ध होने से निरस्त होने योग्य है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बिसाऊ का निर्णय दिनांक 09.03.2021 निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोजेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि:-अपीलान्ट का विवादग्रस्त जमीन पर 20 वर्ष से भी अधिक समय से पुख्ता मकानात मय चारदिवारी कब्जा चला आ रहा है और चारों ओर आबादी बसी हुई है। अदालत मातहत ने हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया है परन्तु अदालत मातहत के समक्ष पटवारी हल्का के बयान के द्वारा रिपोर्ट को साबित किया जाना था लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अपीलान्ट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष अपना जबाब प्रस्तुत किया जिसे रिकार्ड पर लिया जाकर पत्रावली सीधे ही आदेश में लाई गई जबकि अपीलान्ट को साक्ष्य व सबूत पेश करने बाबत समय दिया जाना चाहिए था जो कि नहीं दिया गया। इस प्रकार अदालत मातहत ने मात्र रिपोर्ट हल्का पटवारी पर विश्वास कर निर्णय पारित किया है। जबकि इस प्रकरण में हल्का पटवारी या अन्य किसी स्वतन्त्र गवाहान के साक्ष्य लिए बिना ही निर्णय पारित कर दिया जो विधि विरुद्ध होने से निरस्त होने योग्य है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बिसाऊ का निर्णय दिनांक 09.03.2021 निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अपीलान्ट द्वारा ग्राम खीजरसर स्थित भूमि खसरा नम्बर 32 कुल रकबा 0.11 हैक्टर किस्म बारानी-1 में से 0.09 हैक्टर भूमि पर मकान बनाकर व तारबन्दी कर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बिसाऊ द्वारा विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत अपीलान्ट को सुना जाकर निर्णय पारित किया

अति. जिला कलक्टर  
झुंझुनू

गया है। पारित निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि:- अपीलांट का विवादग्रस्त जमीन पर 20 वर्ष से भी अधिक समय से पुख्ता मकानात मय चारदिवारी कब्जा चला आ रहा है और चारों ओर आबादी बसी हुई है। अपीलांट के पास अन्य कोई जमीन नहीं है। भूमि के चारों ओर दिवार बनी हुई है, अंदर पक्के मकान बने हुये हैं। अपीलांट के नाम से बिजली का कनेक्शन लगा है और अपीलांट परिवार सहित आबाद है। विवादित भूमि नियमन योग्य भूमि है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बिसाऊ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.03.2021 उनवानी सरकार बनाम बुधराम मु0नं0 100/2020 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नायब तहसीलदार बिसाऊ को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि विवादित भूमि का वे स्वयं मौका निरीक्षण कर अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात की पूर्ण विवेचना करते हुये पुनः विधिसम्मत कार्यवाही करें। अगर राज्य सरकार के आदेशों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण नियमन योग्य पाया जाता है तो विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत नियमन की कार्यवाही करावें। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फ़ैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।



निर्णय आज दिनांक 13.08.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

57  
अति. जिला कलक्टर  
(जे0 पी0 गौड़)  
अतिरिक्त जिला कलक्टर,  
झुंझुनू

57  
13.8.21  
अति. जिला कलक्टर  
(जे0 पी0 गौड़)  
अतिरिक्त जिला कलक्टर,  
झुंझुनू